पत्र सं0– वि॰ प्रा॰ (IV) यो०–37/2019–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक –

विषय :– **सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा के परिसर का चहारदीवारी की निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 63,14,900.00 (तिरेसठ लाख चौदह हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2217 (भ) अनु०, दिनांक–07.03.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–26.03.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा के परिसर का चहारदीवारी की निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 63,14,900.00 (तिरेसठ लाख चौदह हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का वहन, राज्य स्कीम के मांग सं०–03 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष –4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघु शीर्ष –051– निर्माण, उप शीर्ष –0117– इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन **53 01– मुख्य निर्माण कार्य** विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका **विपत्र कोड 03–4059800510117** है।

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्ययादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, सहरसा को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय, बिहार वित्त नियमावली, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 एवं वित्त विभाग के विभिन्न पत्रों एवं निदेशों के आलोक में की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–वि॰ प्रा॰ (IV) यो॰–37/2019 के पृ॰– 61/टि० पर है।

9. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त दायित्व संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अहमद महमुद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि. प्रा. (IV) यो०–37/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि. प्रा. (IV) यो०–37/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि. प्रा. (IV) यो०–37/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव/अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि. प्रा. (IV) यो०–37/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि. प्रा. (IV) यो०–37/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि. प्रा. (IV) यो०–37/2019– 1496 **/पटना, दिनांक–** 27/3/25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव